

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 7 (2)(551) /रा.छा./सान्याअवि/15/ 2340

जयपुर.दिनांक: 12/01/2016

आदेश

राज्य सरकार की वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा संख्या 58 के अन्तर्गत जयपुर जिला मुख्यालय(जामडोली) पर 50-50 की आवासीय संख्या के दो राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास एवं एक महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावास कुल तीन छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लेखाशीर्ष 2225-01-196-(16)-[00] राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत संचालन करम की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त महाविद्यालय स्तरीय बालक/बालिका छात्रावास हेतु लेखाशीर्ष 2225-01-196-(16)-[00], राज्य आयोजना मद के अन्तर्गत तीन छात्रावास अधीक्षक पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 2400 मे तीन नवीन पदो का सृजन किया जाता है।

उक्त छात्रावासों में चौकीदार/रसोईया का कार्य जॉब वेसिस पर RTPP Act 2012 एवं नियम 2013के प्रावधान एवं प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए संविदा पर आउटसोर्स करने की सहमति प्रदान की जाती है। इस कार्य हेतु किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति अनुबन्धित नहीं किया जायेगा और ना ही सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवाएं संविदा पर ली जा सकेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161501408 दिनां 18.12.2015 के अनुशरण में जारी की जाती है।

M 12.1.16

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 7 (2)(551) /रा.छा./सान्याअवि/15/ 2341-50

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
- 2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
- 3 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
- 4 जिला कलक्टर जयपुर।
- 5 वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), मुख्यावास को भेजकर निवेदन है कि वे उक्त नवसृजित पदो का संबंधित कैडर स्ट्रेन्थ में शामिल कर आर्न लाईन करावे तथा रिक्त पद को भरने का कार्यवाही करावे।
- 8 मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद जयपुर।
- 9 उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर।
- 10 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त नवीन छात्रावासों को छात्रावासों की सूची में सम्मिलित कराने का श्रम करावे।

जयपुर, दिनांक: 12/01/2016

12/1/16

अतिरिक्त निदेशक (अनुजाति,जनजाति कल्याण)